झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

-:आदेश:-

सं०सं-2/वि01-03/2024…………/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के आदेश ज्ञापांक-881 दिनांक-10.05.2024 द्वारा राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में कक्षा KG से ऊपर की कक्षाएं दिनांक-13.05.2024 के प्रभाव से अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किए जाने से सबंधित आदेश निर्गत किया गया है।

2. विभिन्न जिलों से विद्यालयों में कक्षा संचालन के समय में भिन्नता से संबंधित प्राप्त सूचना के आलोक में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है कि उपरोक्त सभी कोटि के विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा-8 तक की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा कक्षा-9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक संचालित की जायेंगी। ग्रीष्मावकाश के उपरांत सभी कक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित समय पर सचालित होंगी।

3. निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप आरटीई अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. उक्त पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(नन्दकिशोर लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/वि01-03/2024……895……/ **राँची,दिनांक-**…14.05.24

प्रतिलिपि:-विभागीय सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, झारखंड /राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची/निदेशक, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची/निदेशक, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची/सभी उपायुक्त, झारखंड/सचिव, झारखंड अधिविध परिषद्, राँची/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/5/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।